01

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 25.11.2020

आज दिनांक 25.11.2020 को समय 15:00 बजे पुलिस लाईन सिद्धार्थनगर के सभागार कक्ष में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा ईट भट्ठा मालिकों के साथ श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में क्षेत्राधिकारी सदर व क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ व जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त भट्ठा मालिक भी उपस्थित रहे

उक्त बैठक में निम्न बिन्दुओ पर चर्चा की गयी।

1.ईट भट्ठो पर पर कार्यरत श्रमिकों ,विशेषकर महिला श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये। सम्बंधित ईट भट्ठा मालिक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने ईट भट्ठे में इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे महिला श्रमिकों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित हो सकें। सम्बंधित ईट भट्ठे पर रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था रहें व श्रमिकों के आवास इस प्रकार निर्मित हो कि उनकी सुरक्षा समुचित रूप से की जा सकें।

2.उपरोक्त के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी भी ईट भट्ठे पर अवैध शराब न बनने पाये। यदि किसी भी ईट भट्ठे पर ऐसा पाया जाता है तो सम्बंधित ईट भट्ठा मालिक का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये विधिक कार्यवाही की जायेगी।

3. ईट-भट्ठों पर बाहर से आये हुये सभी श्रमिकों के आधार कार्ड/पहचान-पत्र की छायाप्रति अवश्य अपने रिकार्ड में रखेगें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न की जायें।

4.ईट भट्ठों पर कार्यरत श्रमिको (महिला-पुरुष) के शौचालय की भी व्यवस्था अलग-अलग की जायेगी।

उपरोक्त बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ताकि भविष्य में आकास्मिक निरीक्षण किया जाये कोई कमी न मिले। अगर कोई कमी मिलती है तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

02

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 25.11.2020

थाना शोहरतगढ़ पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही

आज दिनांक 25.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ राजेन्द्र बहादुर सिंह के निर्देशन मे मु.अ.सं. 299/2020 धारा 307 भा.द.वि. व मु.अ.सं. 300/20 धारा 30 शस्त्र अधि. से सम्बन्धित अभियुक्त धर्मवीर पुत्र तिलकराम उर्फ बहाऊ धोबी सा. मिझुनिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर को मुखबीर की सूचना पर आलाकत्ल एक अदद एनपी बोर रिवाल्वर व शस्त्र लाईसेन्स के साथ चेतिया मोड़ से समय करीब 4.30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए मा. न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम

उ.नि. विक्रम अजीत राय चौकी प्रभारी खुनुवां थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

हे.का. इन्द्रदेव चौबे चौकी खुनुवां थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी का विवरण –

एक अदद एनपी बोर रिवाल्वर

एक अदद लाइसेन्स नं. 179

03

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 25.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्री अरुण चंद्र, क्षेत्राधिकारी बांसी के निर्देशन तथा श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, थानाध्यक्ष थाना जोगिया उदयपुर के नेतृत्व में आज दिनांक 25.11.2020 को उपनिरीक्षक श्री वीरेंद्र कुमार राय मय हमराह HC तारकेश्वर यादव व कांस्टेबल अजीत कुमार यादव के द्वारा मु0अ0स0 161/20 धारा 147/148/149/352/452/323/504/506/356 IPC से संबंधित अभियुक्त 1. वीरेंद्र पुत्र जमुना प्रसाद, 2.जितेंद्र, 3.गुड्डू उर्फ विशेष कुमार, 4.सिकंदर उर्फ आशीष कुमार पुत्रगढ़ वीरेंद्र कुमार ग्राम सुपा राजा थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।